विविध बैंक प्रकरण संख्या 65/2022.(GCMS : **2022/98**) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय **SASTRA** केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> माया देवी पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी मकान नं. 10, गली नं. 02, गणपती नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.06.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी माया देवी को ऋण सुविधा के रूप में 30.00/–लाख़ रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) (दिनांक 08.06.2012 को 12.00 लाख एवं दिनांक 31.05.2012 को 18.00 लाख) का ऋण का स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी माया देवी ने अपनी संपत्ति प्लॉट स्थित किल्ला नं. 8(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), मुरब्बा नं. 27/29 चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को 31,35,543/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस [illegible] को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक [illegible] उक्त बकाया राशि जमा करवाने को जारी किया गया, जिस पर [illegible] माया देवी स्वयं के हस्ताक्षर है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि [illegible] नही करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रे

गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी माया देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी संपत्ति प्लॉट स्थित किल्ला नं. 8(क्षेत्रफल 30′ गुणा 70′), मुरब्बा नं. 27/29 चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी माया देवी को 30.00/— लाख़ रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) (दिनांक 08.06.2012 को 12.00 लाख एवं दिनांक 31.05.2012 को 18.00 लाख) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी माया देवी द्वारा अपनी संपत्ति प्लॉट स्थित किल्ला नं. 8 (क्षेत्रफल 30′ गुणा 70′), मुरब्बा नं. 27/29 चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.06.2021 को जारी किया गया है तथा धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी माया देवी के स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) का नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त [illegible] जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों. पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी माया देवी की संपत्ति प्लॉट स्थित किल्ला नं. 8 (क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), मुरब्बा नं. 27/29 चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी माया देवी के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी माया देवी देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी माया देवी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई संपत्ति प्लॉट स्थित किल्ला नं. 8(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), मुरब्बा नं. 27/29 चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:39:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested